



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1940 (श10)
(सं0 पटना 270) पटना, सोमवार 26 मार्च 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
26 मार्च 2018

सं० 15/वैट अंके०/विविध-09/2017-856—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम, 27) की धारा 26 की उपधारा (2) के साथ पठित बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए व्यवसाय के विस्तृत वैट अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के क्रम में निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं:—

1. पाटलिपुत्रा एवं विशेष अंचल के लिए

- i. अंचल में शीर्ष कर भुगतान करने वाले अवरोही (Descending) क्रम में क्रमांक-1 से 100 तक के व्यवसायी। (अवधि 15-16 के लिए वैट अंकेक्षण के लिए चयनित व्यवसायियों को छोड़कर)
- ii. अंचल के शीर्ष कर भुगतान करने वाले 30 (तीस) संवेदक जिन्होंने सकलागम का 40% से अधिक श्रम एवं अन्य खर्चों का दावा किया है। (कंडिका 1 (i) में चयनित व्यवसायियों को छोड़कर)
- iii. अंचल में प्रयोग किये गये D-X के शीर्ष राशि के आधार पर शीर्ष 25 व्यवसायी जिन्होंने राज्य के बाहर माल भेजा है। (कंडिका 1 (i & ii) में चयनित व्यवसायियों को छोड़कर)
- iv. वैसे शीर्ष 20 (बीस) व्यवसायी जिनका करदेय सकलागम एवं सकल सकलागम के अनुपात की प्रतिशतता 60% या उससे कम हो। (कंडिका 1(i, ii & iii) में चयनित व्यवसायियों को छोड़कर)

2. अन्य अंचलों के लिए

- i. अंचल में शीर्ष कर भुगतान करने वाले अवरोही (Descending) क्रम में क्रमांक 1 से 35 तक के व्यवसायियों। (अवधि 15-16 के लिए वैट अंकेक्षण के लिए चयनित व्यवसायियों को छोड़कर)
- ii. अंचल में प्रयोग किये गये D-X के शीर्ष राशि के आधार पर शीर्ष 10 व्यवसायी जिन्होंने राज्य के बाहर माल भेजा है। (कंडिका 2(i) में चयनित व्यवसायी को छोड़कर)
- iii. अंचल में शीर्ष कर भुगतान करने वाले 15 (पन्द्रह) संवेदक जिन्होंने सकलागम का 40% से अधिक श्रम एवं अन्य खर्चों का दावा किया है। (कंडिका 2 (i & ii) में चयनित व्यवसायियों को छोड़कर)
- iv. वैसे शीर्ष 20 व्यवसायी जिनका करदेय सकलागम एवं सकल सकलागम के अनुपात की प्रतिशतता 60% या उससे कम हो। (कंडिका 2 (i, ii & iii) में चयनित व्यवसायियों को छोड़कर)।
- v. अंचल के निविष्ट कर अग्रेनीत (ITC Carry Forward) करने वाले 4 (चार) शीर्ष व्यवसायी।
- vi. अंचल के ऐसे व्यवसायी जिनका रु० 5 (पाँच) लाख से अधिक Refund का मामला बनता है।
- vii. Edible Oil/Iron & Steel/Marble Granite/Timber/Footwear/ Jewellers/ Auto Parts प्रक्षेत्र में प्रत्येक Commodities के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले अंचल के भीर्श 2 (दो) व्यवसायी।

परन्तु निम्नांकित श्रेणी के व्यवसायी को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वैट अंकेक्षण से मुक्त रखा गया है:-

1. वैसे व्यवसायी जिन्होंने वर्ष 2016-17 में गत वर्ष की तुलना में स्वीकृत कर के भुगतान में 25% की अभिवृद्धि दर्ज की है।
2. पेट्रोलियम एवं डीजल के खुदरा व्यवसायी।
3. देशी एवं विदेशी शराब के व्यवसायी।

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कुल-3057 व्यवसायियों को अंकेक्षण हेतु चयनित किये गये हैं, जिनकी प्रमंडलवार एवं अंचलवार सूची अनुलग्नक के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

आदेश से,
डा० प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त।

The 26th March 2018

No 15/VAT Audit/Vividh-09/2017- 856—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 26 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 22 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the Commissioner has adopted the following criteria to get the registered dealers selected for detailed audit of their business relating to the financial Year 2016-17:-

(1) Patliputra and Special Circle—

- (i) Top hundred (100) tax paying dealers of the circle in descending order excluding such dealers who were selected for VAT Audit for the financial Year 2015-16.
- (ii) Top thirty (30) tax paying works-Contractors who have claimed more than 40% of their Gross turnover as labour and service charges [Excluding dealers selected under para 1(i)].
- (iii) Top twenty five (25) dealers on the basis of valuation of D-X used by them for sending goods outside the State of Bihar [Excluding dealers selected under para 1(i) & (ii)].
- (iv) Top twenty (20) dealers from the list of dealers whose taxable turnover is 60% or less than 60% of their gross turnover [Excluding dealers selected under para 1(i), (ii) & (iii)].

(2) Other Circles—

- (i) Top thirty five (35) tax paying dealers of the circle in descending order excluding such dealers who were *selected* for VAT Audit for the financial Year 2015-16.
- (ii) Top ten (10) dealers on the basis of valuation of D-X used by them for sending goods outside the State of Bihar [Excluding dealers selected under para 2(i)].
- (iii) Top fifteen (15) tax paying works-Contractors who have claimed more than 40% of their Gross turnover as labour and service charges [Excluding dealers selected under para 2(i) &(ii)].
- (iv) Top twenty (20) dealers from the list of dealers whose taxable turnover is 60% or less than 60% of their gross turnover [Excluding dealers selected under para 1(i), (ii) & (iii)].
- (v) Top four (4) ITC carry forwarding dealer of circle.
- (vi) All dealers of circle who have claimed refund of more than 5 Lakh rupees.
- (vii) Top two (2) dealers of circle dealing in each of these commodities - Edible Oil/Iron & Steel/Marble granite/Timber/Footwear/Jewellers/Auto Parts.

Provided that the following categories of dealers are exempted from selection on the basis of above adopted criteria for VAT Audit for the financial Year 2016-17—

1. Dealers who have registered a growth of 25% or more in payment of admitted tax over the last financial Year of 2015-16.
2. Retail dealers of Petroleum and Diesel.
3. Dealers of country and foreign liquors.

Total 3057 dealers for the financial Year 2016-17 have been selected for audit. The division wise and circle wise list of the above said selected dealers are herewith enclosed with the notification.

By order,
DR.PRATIMA,
Commissioner Commercial Taxes.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 270-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>